

महिला सशक्तीकरण एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ. लोमेश कुमार
(M. Phil) Ph-D

सारांशिका

वर्तमान युग नवजागरण का युग है। आज के समय में महिलाओं के शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही हैं। समाज में उनको सशक्त बनाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनको अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु समय-समय पर अनेकों योजनाएँ एवं प्रावधान किए जाते रहे हैं। किसी भी समाज के लिए महिलाओं का शिक्षित, समझदार, खुशहाल एवं स्वास्थ होना बहुत ही आवश्यक है और यह केवल शिक्षा से ही संभव हो सकता है। यदि हम एक नारी को शिक्षित करते हैं तो उससे अभिप्राय है कि हम एक पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। एक सशक्त नारी ही एक सशक्त एवं विकसित समाज का आधार होती है। विकसित समाज के लिये महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर अन्य कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सर्वोच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने तथा नवीन दिशा की ओर बढ़ाने की ओर प्रयत्नशील है।

मुख्य शब्द : नवजागरण, सशक्त, शिक्षानीति, गुणवत्तायुक्त।

प्रस्तावना

समाज की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है, अपितु उसमें निरंतर बदलाव होता रहा है। भारत में प्राचीन समय में महिलाओं को पुरुषों की भाँति समान अधिकार प्राप्त थे, किंतु समय के साथ-साथ समाज में अनेक भेदभावपूर्ण प्रथाएँ प्रारंभ हो गईं, जिसके कारण समाज में महिलाएँ अपेक्षित होती चली गयी। महिलाओं को अबला, असहाय जैसे नामों से संबोधित किया जाने लगा। समाज में महिलाओं का स्तर तथा परिवार में महिलाओं की भूमिका निम्न होती चली गयी। आजादी के बाद भारत के संविधान ने महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किये गये तथा उन्हें संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, किंतु केवल संविधान या कानून के बूते पर समाज में स्त्रियों की स्थिति में पूर्ण सकारात्मक बदलाव लाना संभव नहीं था। स्त्रियों की स्थिति में बदलाव हेतु समाज में एक ऐसे साधन की आवश्यकता थी, जो कि उन्हें अबला से सबला तथा असहाय से सशक्त बनाएँ। महिलाओं को सशक्त तथा मजबूत बनाने का सबसे उत्तम साधन शिक्षा है। प्राचीन समय से आधुनिक समय तक शिक्षा के द्वारा मानव समाज को मजबूती प्रदान करने का एक सशक्त साधन माना जाता है। शिक्षा समाज का वह आधार स्तंभ है जो कि समाज को शक्ति, गति तथा नवीन आयामों तक पहुंचाने में मदद करती है। वह एक ऐसी कुंजी है जिसकी सहायता से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। साथ ही शिक्षा एक ऐसा उपकरण भी है, जो किसी भी महिला के जीवन तथा उसके समाज में अनेकों संभावनाओं के द्वारा खोल देती है। ग्लोबल लैंगिक इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के 146 देशों में से भारत 135 वें स्थान पर है। महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में आज अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध विचारक अरस्टू ने कहा था कि “नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्धारित करती है”। पुरुषों और महिलाओं में समानता लाने के लिये महिला सशक्तिकरण के कार्य में तेजी लाना आवश्यक है। जीवन के सभी क्षेत्रों में यह उत्थान किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता में होना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की स्थिति एवं जीवन शैली में अनेकों परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिनसे न केवल उनके व्यवहार, प्रेरणाशक्ति, मूल्य, संवेदनाओं में बदलाव आया है, अपितु आज वे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान भागीदारी निभा रही हैं। इस

परिवर्तन में विभिन्न कानूनी प्रावधानों ने भी सकारात्मक भूमिका निर्वाह की है। महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्य में सबसे प्रमुख भूमिका शिक्षा की ही है। शिक्षा ही महिलाओं को शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि रूप से मजबूती प्रदान करती है।

महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण अर्थात् किसी मनुष्य की वह क्षमता, जिससे उसमें यह योग्यता पैदा हो जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सके। महिलाओं में सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि वह अपने जीवन के विषय में एवं परिवार के विषय में सभी बंधनों से मुक्त होकर निर्णय ले सकें। महिलाएँ अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा तथा गुणों को बाहर ला सके, अपना विकास कर सकें। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं में उनके सशक्तिकरण को लेकर चेतना का उन्नयन हुआ एवं उसमें जागरूकता आई है। महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी तथा उनके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसका एक मुख्य कारण शिक्षा है। महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर पहुँच रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा के प्रावधान

भारत सरकार द्वारा के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। समाज एवं विश्व के बदलते हुए परिदृश्य के बीच भारत में ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा नवीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नई शिक्षा नीति में भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यात शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा बराबरी प्रदान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा से समाज में समानता, समावेशन, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से गतिशीलता को प्राप्त किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 बालिकाओं की शिक्षा एवं जेंडर समानता को बढ़ावा देती है। नई शिक्षा नीति में उन रुकावटों तथा समस्याओं की तरफ ध्यान दिया गया है, जो जेंडर समानता में बाधा बनती है। नई शिक्षा नीति में बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में अनेक प्रावधान रखे

गए हैं, जो कि बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ें रखने तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है।

1. छात्राओं को न्यायसंगत तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति में जैंडर समावेशी निधि को गठन करने की बात कही गयी है जिससे जैंडर असमानता को समाप्त किया जा सके तथा बालिकाओं को स्कूल परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण तथा स्वास्थ्य वातावरण उपलब्ध हो सके।
2. विद्यालय परिसर में बालिकाओं के लिए शौचालय, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं, विद्यालय में जाने के लिए साइकिल तथा अभिभावकों को फीस का सशर्त नकद हस्तानान्तरण किया जाएगा ताकि उपरोक्त किसी भी परिस्थितियों के कारण बालिकाओं को विद्यालय ना छोड़ना पड़े।
3. छात्राओं की शिक्षा में समानता लाने के लिए नई शिक्षा नीति में समावेशी निधि की व्यवस्था भी की जाएगी।
4. ऐसे विद्यालय जहाँ छात्राओं को जाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण तथा सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी, जिससे बालिकाओं का नामांकन बढ़ेगा तथा अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी।
5. कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों को सशक्त बनाया जाएगा तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों का विस्तार बाहरी स्तर तक किया जाएगा।
6. अल्प प्रतिनिधित्व वर्ग तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की बालिकाओं हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी तथा इन पर आधारित योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण किया जायेगा।
7. सभी शिक्षक लिंग, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे, जिससे विद्यालय परिसर की शैक्षिक संस्कृति छात्राओं को सशक्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन बनेगी।
8. पैरा 6.7 में अंकित किया गया है कि महिलाओं की भूमिका वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों को आचार-विचार प्रदान करने में मुख्य है, इसलिए लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था ही वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को उच्च करने का सर्वोत्तम साधन है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए वो बालिकाओं को विशेष रूप से केंद्रित करके बनायी जानी चाहिए।
9. नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक विषयों चित्रकला, कठपुतली, कहानी, संगीत, स्थानीय भाषाओं आदि को जोड़ा जाएगा। जिससे विशेष रूप से बालिकाओं की रुचि विकसित होगी तथा बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर कम हो सकेगी।
10. नई शिक्षा नीति में वंचित समूहों तथा लड़कियों के ड्रॉप आउट को कम करने के लिये शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के बीच मजबूत चौनल बनाने की बात कही गई है।
11. अध्याय 14 में कहा गया है कि समुचित सरकारी निधि का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें वंचित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
12. उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु लिंग संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कोई भी भेदभाव न हो सके। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम को समावेशी बनाया जाएगा। संकाय सदस्यों, परामर्श दाताओं और विद्यार्थियों सभी को

जैंडर के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा।

13. परिसर में उत्पीड़न तथा भेदभाव के खिलाफ बने सभी नियमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
14. इस नीति में स्नातक स्तर पर मलिटपल एंट्री एवं एजिट को अपनाया जाएगा जिसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को होगा क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों, विवाह व अन्य कारणों से यदि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, तब वह क्रेडिट को एकत्र करके अन्य संस्थान में भी अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूर्ण कर सकेंगी। इन प्रावधनों से उन्हें अलग-अलग स्तर पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री प्रदान किये जाएंगे।
15. अनेकों कारणों से महिलाएँ अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। शोध के क्षेत्र में महिलाएँ कम भागीदारी कर पाती थीं। अब नई शिक्षा नीति से उन्हें इस दिशा में विशेष लाभ प्राप्त हो सकेगा।
16. व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में एकीकृत करने का प्रावधान शिक्षा नीति में किया गया है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी व्यवसाय से जुड़े कौशल सीख सकेंगे तथा महिलाएँ भी इससे लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन पाएंगी।
17. विभिन्न कौशलों की समिति अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स कराने का कार्य उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं महिलाएँ अपनी रुचि एवं सुविधा अनुसार कौशल प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

निष्कर्ष

शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए अनेकों प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की शिक्षण परिसर में सुरक्षा छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि के प्रति नई शिक्षा नीति जागरूक तथा संवेदनशील है। अब नई शिक्षा नीति का पूर्ण देश में क्रियान्वित कर दिया गया है। जैसे-जैसे महिलाएँ शिक्षा की ओर जागरूक होंगी उनका सशक्तिकरण होगा। नई शिक्षा नीति सही दिशा में उन्होंने मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी। महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करेगी तथा आत्म निर्भर बनेगी। तभी महिलाएँ समाज और देश सशक्त हो पाएगा। सशक्त महिलाएँ ही रुद्धिवादी जीवन को तिलांजलि देकर नवीन युग का आव्वान करेंगी तथा उनका यह प्रभाव संपूर्ण समाज, देश तथा विश्व पटल पर परिलक्षित होगा।

सन्दर्भ सूची :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. कुमारी, सारथी, (2019), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका।
3. सुखवाल, रिकू, (2020), नई शिक्षा नीति 2020 में नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण।
4. उमंग बाणी, जुलाई (2022), छठा संस्करण, पत्रिका अंक 3 5 सारस्वत, स्वाजिल, सिंह, निशांत, (2007), समाज, राजनीति और महिलाएँ राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. देवपुरा, प्रतापमल, मार्च (2006), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व, कुरुक्षेत्र अंक 5।
6. भार्गव, लक्ष्मी, (2007), शिक्षा के सामाजिक परिपेक्ष्य, वंदना पब्लिकेशन, नई दिल्ली।